जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/vg/10 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 15 जुलाई 2021

क्योंकि चौकीदार ही चोर है!!!

लेखा विभाग की ऑडिट से हुआ बड़ा खुलासा!!!

राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का एलईडी वैन द्वारा प्रचार-प्रसार मे हुआ बड़ा घोटाला!!!

राजस्थान संवाद के कर्ता-धर्ताओं और मै.फ्युचर विज़ एडवरटाइसिंग प्रा.लि. की मिलीभगत का कारनामा!!!

तिपहिया/चौपहिया वाहनों की जगह दो पहिया के बिल लगाकर किया भुगतान!!!

शिव चंद मीणा के हस्ताक्षर से हुआ करीब 1.5 करोड़ का भुगतान एक साथ!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है पूरा मामला?

राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का एलईडी वैन के द्वारा प्रचार करने हेतु निविदा संख्या 17534 दिनांक 31/7/2018 के द्वारा राशि 1.0/- करोड़ की वित्तीय निविदाएँ आमंत्रित की गयी|उक्त निविदा मे मै. फ्युचर विज़ एडवरटाइजिंग प्रा लि की दर न्यूनतम होने के कारण इस फर्म को दिनांक 31/07/2018 को कार्यादेश किया गया|फर्म को बिल स. 590 दिनांक 18/12/2018 के द्वारा राशि रु.1,49,27,000/- एवं बिल संख्या 637 दिनांक 03/01/2019के द्वारा राशि रु 67,83,525/- का कुल राशि रु 2,17,10,525/-का भुगतान किया गया|

मामला नंबर एक:-तीपहिया वाहनों की जगह दुपहिया वाहनो की फर्जी जीपीएस रिपोर्ट से राशि रु 9,04,667/- का फर्जी भुगतान

फर्म मै. फ्युचर विज़ एडवरटाइजिंग प्रा. लि. को बिल संख्या 590 दिनांक 18/12/2018 के द्वारा किए गए राशि रु.1,49,27,000/- की समीक्षा मे पाया गया कि मै. फ्युचर विज़ एडवरटाइजिंग प्रा. लि. द्वारा विभाग को भेजी गयी जीपीएस रिपोर्ट अनुसार फर्म द्वारा ती/चौपहिया वाहन संख्या UP-37-9263 के द्वारा दौसा जिले मे एवं वाहन संख्या UP-25-BF-9961 द्वारा जोधपुर जिले मे राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना बताया एवं उक्त वाहनों की जीपीएस रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी|उक्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन की जांच करने पर पाया गया कि उक्त दोनों वाहन दुपहिया वाहन के रूप मे पंजीकृत है|इस प्रकार फर्म द्वारा फर्जी वाहनों की जीपीएस रिपोर्ट भेजकर भुगतान प्राप्त किया गया |इस प्रकार फर्जी वाहनों की जीपीएस रिपोर्ट फर्जी/संदिग्ध होने के कारण फर्म को उक्त दोनों जिलों हेतु दिनांक 11/09/2018 से 05/10/2018 कुल 25 दिवस 4,60,000/- प्रतिमाह/प्रति वाहन की दर से राशि रु 7,66,667/-व जीएसटी राशि रु 1,38,000 कुल राशि रु 9,04,667 का भुगतान संदिग्ध/अनियमित किया गया|

मामला नंबर दो:-जीपीएस रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही अनियमित भुगतान राशि रु 1,22,11,525/-

कार्यादेश के अनुसार फर्म को प्रत्येक वाहन की जीपीएस रिपोर्ट उपलब्ध करवानी थी|परंतु फर्म द्वारा विभाग को 33 जिलो मे संचालित 33 वाहनों मे से मात्र 21 जिलों के वाहनों की जीपीएस रिपोर्ट उपलब्ध करवाई|इस प्रकार बिल संख्या 590 दिनांक 18/12/2018 के द्वारा भुगतान राशि रु 1,49,27,000 मे से मात्र निम्न जिलों के वाहनों की ही जीपीएस रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गयी|

क्र स.	जिले का नाम	गाड़ी न.
1.	अजमेर	HR 67 B 9866
2.	नागौर	HR 67 B 3917
3.	बांसवाड़ा	HR 67 B 1703
4.	चित्तौड़गढ़	HR 67 B 0880
5.	डुंगरपुर	HR 67 B 8762
6.	उदयपुर	HR 67 B 3136
7.	राजसमंद	HR 67 B 3334
8.	प्रतापगढ़	HR 67 B 0503
9.	पाली	HR 67 B 7598
10.	सिरोही	HR 67 B 9596
11.	जैसलमेर	UP 80CT 0198
12.	बाड़मेर	UP 78T 0763
13.	झुञ्झूनु	UP 14GT 8435
14.	बीकानेर	UP 14ET 6610
15.	हनुमानगढ़	UP 23T 3088
16.	धौलपुर	HR 67 B 8898
17.	भीलवाडा	HR 67 B 7553
18.	झालावाड़	HR 67 B 7857
19.	चुरू	UP 80BA 9827
20.	दौसा	UP 37 9263
21.	जोधपुर	UP 25BF 9961

बावजूद इसके विभाग द्वारा फर्म को अन्य 12 जिलों मे संचालित वाहनों की जीपीएस रिपोर्ट उपलब्ध करवाए बिना भुगतान कर दिया गया जो कि अनियमित था|इस प्रकार 12 वाहनों की जीपीएस रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही दिनांक 11/09/2018 से

05/10/2018 कुल 25 दिवस 4,60,000/-प्रतिमाह/प्रति वाहन की दर से राशि रु 46,00,000/-व 18 प्रतिशत जीएसटी राशि रु 8,28,000/-कुल राशि रु 54,28,000/- का किया भुगतान अनियमित था|

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संवेदक को बिल संख्या 637 दिनांक 03/01/2019 के द्वारा राशि रु 67,83,525/-(मय जीएसटी) की जीपीएस रिपोर्ट एवं वीडियो रिकार्डिंग उपलब्ध कराये बिना ही किया गया समस्त भुगतान भी अनियमित था|

मामला नंबर तीन:-संबन्धित जिले मे वाहन के विलंब से पहुचने के बावजूद भी दिनांक 11/09/2018 से ही फर्म को वाहनों का भुगतान कर अधिक/अनियमित भुगतान राशि रु 7,96,092/-

विभाग द्वारा सॉफ्ट कॉपी मे उपलब्ध कराई गयी जीपीएस रिपोर्ट की समीक्षा मे पाया गया कि वाहन संबन्धित जिले मे 1 से 4 दिवस विलंब से पहुचा एवं जिलों के प्रभारी अधिकारी द्वारा भी विलंब से पहुचना बताया गया|इस प्रकार विभाग द्वारा जीपीएस रिपोर्ट एवं अभिलेखों की जांच किए बिना ही फर्म द्वारा विलंब से Campaign प्रारम्भ करने के बावजूद भी फर्म को मय जीएसटी राशि रु 7,96,092/- का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया|

मामला नंबर चार:-बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर जारी करना|

राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक आमंत्रित की जाने वाली निविदा के लिए सक्षम स्तर से प्रशासनिक,वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ और बजट की उपलब्धता आदि लेना आवश्यक है|

इस कार्य की स्वीकृति हेतु पत्रावली मुख्यमंत्री तक जानी थी,इसी नोटशीट पर अतिरिक्त मुख्य सचिव,वित्त द्वारा कार्य का मीडिया प्लान प्रस्तुत करने को कहा गया|लेकिन राजस्थान संवाद के कर्ता-धर्ताओं द्वारा ना तो मीडिया प्लान प्रस्तुत किया गया बल्कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 21/08/2018 से पूर्व दिनांक 31/07/2018 को ही निविदा जारी कर दी गयी|

मामला नंबर पाँच:-सिक्योरिटी राशि को कम प्राप्त कर संवेदक को अदेय लाभ दिया जाना|

आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार किसी भी कार्य या सेवा की 5 प्रतिशत राशि सिक्योरिटी के रूप मे जमा करवानी होती है|परंतु इस मामले मे नियमानुसार सिक्योरिटी राशि प्राप्त नहीं कर,संवेदक को अदेय लाभ दिया गया|

लेखा विभाग द्वारा उठाए गए सवाल?

1. कार्यादेश की शर्त अनुसार उक्त कार्य की मोनीटरिंग करने हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति की जानी थी,जिसे उक्त कार्य की मॉनिटरिंग करनी थी|उपलब्ध करवाई गयी 20 वाहनों की जीपीएस रिपोर्ट की समीक्षा मे पाया गया कि वाहन निर्धारित तिथि को संबन्धित जिलो मे संचालित नहीं होने के बावजूद भी उनके द्वारा फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं ना ही उसके बिल से किसी प्रकार से कटौती ही की गयी|
2. कार्यादेश की शर्त अनुसार फर्म को प्रतिदिन के कार्यक्रमों का डिटेल प्रोग्राम प्रस्तुत कर अनुमोदन कराना था एवं अनुमोदन कराकर कार्य किया जाना था,ताकि उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की मोनोटरिंग की जा सके|परंतु फर्म द्वारा डिटेल प्रोग्राम का अनुमोदन कराये बिना ही किया गया भुगतान कर दिया गया जो कि अनियमित है|

3. Scope Of Work के पैरा 3.3 के अनुसार प्रत्येक वाहन को दिन मे 3 से 4 कार्यक्रम किए जाने थे एवं एक कार्यक्रम लगभग 1.30 घंटे का था परंतु जीपीएस रिपोर्ट मे एक स्थान पर इतनी अवधि रुकने का कोई प्रमाण जीपीएस रिपोर्ट मे नहीं पाया गया|

4. Vehicle Specification के अनुसार वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए था परंतु जीपीएस रिपोर्ट के नंबरों की रजिस्ट्रेशनो की आंशिक समीक्षा मे पाया गया कि वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराने थे एवं वाहनों की आरसी की फोटो प्रति प्राप्त की जानी थी,वह भी प्राप्त नहीं की गयी|

5. कार्यादेश के अनुसार भुगतान तीन चरणों मे किया जाना तय किया गया था|पहले चरण के भुगतान अनुसार 15 प्रतिशत भुगतान अनुबंध होने,Sample Van के Display,केंपेन मे काम आने वाली Van के RC के प्रस्तुतीकरण के पश्चयात करना था|द्वितीय चरण के भुगतान के अनुसार 25 प्रतिशत भुगतान कार्य की 50 प्रतिशत समापन अथवा यात्रा चक्र के 15 दिन पूरे होने पर करना था एवं तृतीय चरण के भुगतान के अनुसार 60 प्रतिशत भुगतान प्रत्येक वें के 30 दिन पूर्ण होने एवं कार्य समाप्ती रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण पश्चयात किया जाना था|

लेकिन समीक्षा के दौरान फर्म को राशि रु. 1,49,27,000/- कार्य के लिए भुगतान एक साथ कर दिया गया|

कौन दबाये बैठा है लेखा विभाग की रिपोर्ट को

आपको बता दें कि इस मामले मे लेखा विभाग द्वारा दो बार क्रमश: ज्ञापन संख्या 36 दिनांक 07/08/2019 एवं ज्ञापन संख्या 40 दिनांक 08/08/2019 के द्वारा राजस्थान संवाद से उक्त पैरो के संबंध मे जवाब मांगा गया था लेकिन इसके बावजूद राजस्थान संवाद द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया|

इस पर लेखा विभाग द्वारा पुनः प्रमुख शासन सचिव,सूचना एवं जन संपर्क विभाग को आवश्यक टिप्पणी एवं कार्यवाही करने के लिए प्रकरण भेजा गया लेकिन उसके बावजूद इस प्रकरण मे विभाग के आला अधिकारियों समेत राजस्थान संवाद के अधिकारियों को सांप सूंघा हुआ है|उनकी ना तो इस मामले मे निगलते बन रही है और ना ही उगलते|

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने घोटालों के बावजूद राजस्थान संवाद मे आज भी इन्ही भ्रष्ट अधिकारियों का दबदबा है और किसी भी सरकार मे हिम्मत नहीं है कि इनका यहा से तबादला कर सके|यह अधिकारी आज भी राजस्थान संवाद मे बैठे हुए है और उनके विरुद्ध आने वाली किसी भी शिकायत या जांच को दबा देने मे सक्षम है|

आप को बतादें कि राजस्थान संवाद के यही कर्ता धर्ता अपने राजस्थान संवाद को सूचना के अधिकार मे नहीं लाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे है और तो और ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान संवाद के नए प्रबंध निदेशक भी इनके रंग मे रंगते जा रहे है और प्रथम अपीलों मे इन भ्रष्ट अधिकारियों का पक्ष लेते नजर आ रहे है|

देखना यह है कि यह मामला उजागर होने के बाद विभाग के मंत्री और राजस्थान संवाद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश देंगे या फिर यह मामला भी इन भ्रष्ट अधिकारियों की कचरे की टोकरियों की शोभा बढ़ाता नजर आएगा|

राजस्थान संवाद मे हो रहे फर्जीवाड़ों की कहानी अगले अंको मे जारी.....

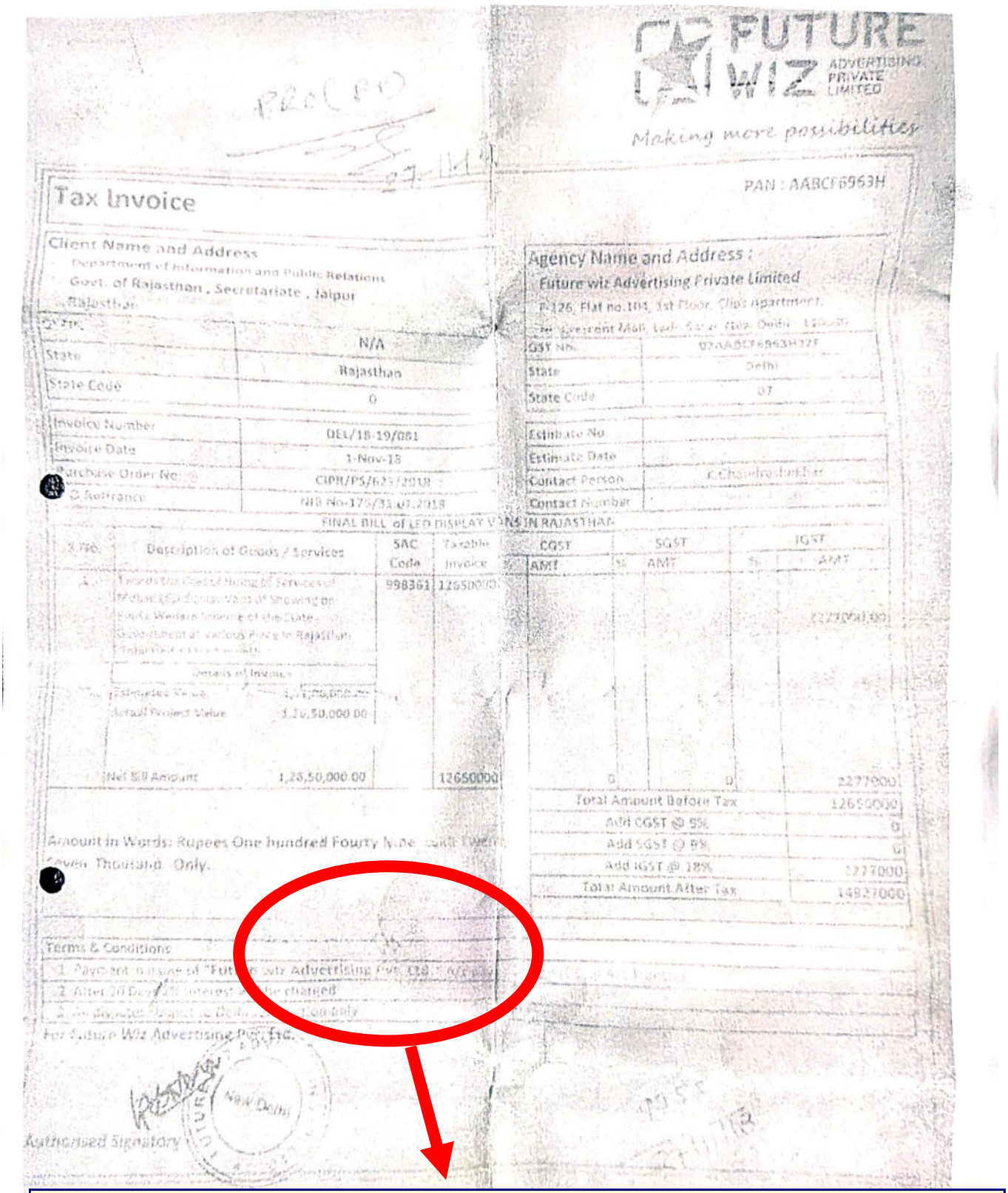

FUTURE WIZ ADVERTISING PRIVATE LIMITED

Making more possibilities

PRO(PP) 27-11-18

PAN : AABCF6963H

Tax Invoice

Client Name and Address

Department of Information and Public Relations
Govt. of Rajasthan , Secretariate , Jaipur
Rajasthan

GSTIN	N/A
State	Rajasthan
State Code	0
Invoice Number	DEL/18-19/081
Invoice Date	1-Nov-18
Purchase Order No	CIPR/PS/623/2018
Reffrance	NIB No-175/31.07.2018

Agency Name and Address :

Future wiz Advertising Private Limited
P-126, Flat no.104, 1st Floor, Clips Apartment,
Nr Everent Mall, [illegible] New Delhi - [illegible]

GST No.	07AABCF6963H1ZT
State	Delhi
State Code	07
Estimate No	
Estimate Date	
Contact Person	K.Chandrashekhar
Contact Number	

FINAL BILL of LED DISPLAY VANS IN RAJASTHAN

S.No.	Description of Goods / Services	SAC Code	Taxable Invoice	CGST %	CGST AMT	SGST %	SGST AMT	IGST %	IGST AMT
1	Towards the Cost of Hiring of Services of Mobile LED Display Vans of Showing on Public Welfare Scheme of the State Government at various Places in Rajasthan [illegible] Details of Invoice Estimated Value [illegible] Actual Project Value 1,26,50,000.00	998361	12650000						2277000.00
	Net Bill Amount 1,26,50,000.00		12650000		0		0		2277000

Total Amount Before Tax	12650000
Add CGST @ 5%	0
Add SGST @ 9%	0
Add IGST @ 18%	2277000
Total Amount After Tax	14927000

Amount in Words: Rupees One hundred Fourty Nine Lakh Twenty Seven Thousand Only.

Terms & Conditions

1. Payment in favour of "Future wiz Advertising Pvt. Ltd." A/c payee
2. After 30 Days [illegible] interest will be charged
3. [illegible] subject to Delhi jurisdiction only

For Future Wiz Advertising Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

FUTURE ... New Delhi

वरिष्ठ प्रबन्धक श्री शिव चंद मीणा के हस्ताक्षर से हुआ एक मुश्त 1,49,27,000/- का भुगतान